

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा सितम्बर, २०१७ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. सहायक सचिवों (2015 बैच के आईएएस अधिकारी) का विदाई-समारोह सत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को संपन्न हुआ। इस दिन सहायक सचिवों द्वारा प्रशासन के विभिन्न विषयों पर आठ (8) चुनिंदा प्रस्तुतीकरण दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे वर्ष 2022 तक उन लोगों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया जिन्होंने भारत को विदेशी शासन से स्वतंत्र कराने के लिए कुर्बानियां दी थीं।
2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 15 सितम्बर, 2017 से 2 अक्टूबर, 2017 के दौरान "स्वच्छता ही सेवा" अभियान चलाया तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के सहयोग से सफाई अभियान जैसे अनेक कार्य संपन्न किए।
3. अखिल भारतीय सेवा - आईएएस/आईपीएस/आईएफएस के लिए संवर्ग आबंटन नीति इस विभाग के दिनांक 05.09.2017 के का.जा. सं. 13013/2/2016-आईएएस। के तहत संशोधित की गई।
4. दिनांक 08.09.2017 की अधिसूचना के तहत आईपीएस (एजीएमयूटी) की संवर्ग समीक्षा की गई।
5. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 'क' और 'ख' सूची के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों (सीपीएसई) में 15 मामलों में नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा, एसीसी ने विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की छः (06) नियुक्तियों तथा स्वायत्त निकायों/संस्थाओं में मुख्य कार्यकारियों की नौ (09) नियुक्तियों का अनुमोदन कर दिया है।
6. मंत्रिमंडल सचिव/एसीसी ने समयपूर्व प्रत्यावर्तन के चार (04) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के दो (02) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के सात (07) प्रस्तावों, (पार्श्व प्रवेश) मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) की नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, समय-विस्तार के तीन (03) प्रस्तावों, कार्यकाल कम करने के दो (02) प्रस्तावों तथा नियुक्ति (गैर-सीएसएस) के सात (07) प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इसके अलावा, दो (02) अधिकारियों को सीवीओ के रूप में नियुक्त किया गया है तथा पांच (05) अधिकारियों को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव पर बनाए रखा गया है।
7. इस विभाग ने दिनांक 13 सितम्बर, 2017 के का.जा. सं. 36033/21/2013-स्था (आरक्षण) के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर निर्धारण करने के लिए प्रति वर्ष आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की केंद्र सरकार के निर्णय को संसूचित किया है।

8. इस विभाग ने दिनांक 19.09.2017 के का.जा. सं. 31011/8/2017-स्था.क-IV के तहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशें लागू होने के बाद छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के उद्देश्य से सरकारी सेवकों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया।
9. व्यय विभाग के दिनांक 11.07.2017 के का.जा. सं. 29/1/2017-ई.॥(बी) की रोशनी में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) ने दिनांक 14.09.2017 के का.जा. सं. 2/12/2017-स्था.(वेतन-॥) के तहत संगठित समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में मुख्यालय के लिए विशेष वेतन/विशेष भत्ता समाप्त करने के संबंध में अनुदेश जारी किये हैं।